संख्या-1/2019/1403/व0उ0-2019-60(एच)/2016टी0सी-।।

प्रेषक,

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 04 दिसम्बर, 2019

विषयः- पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुंआ है कि बुनकरों को फलैट रेट पर विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग के अनुभाग-3 शासनादेश संख्या-1969/24-पी-3-2006 दिनाक 14-06-2006 को अवक्रमित करते हुये पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा-निर्देश निम्नवत् हैः-

1-योजना:- क-छोटे पावरलूम (0.5 अश्व शक्ति तक) बुनकरों को विद्युत बीजक उनके द्वारा की गयी खपत के आधार पर मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित संगत विद्युत उपभोक्ता श्रेणी यथा एल0एम0वी0-2 या एल0एम0वी0-6 की सामान्य दरों पर समस्त प्रभार/शुल्कों सहित उनको अनुमन्य छूट प्रति माह 120 यूनिट प्रति लूम की सीमा तक रू0 3.50 प्रति यूनिट की दर से प्रतिपूर्ति (सब्सिडी) समायोजित करते हुए निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

ख-प्रत्येक बड़े पावरलूम (1 अश्व शक्ति तक) बुनकरों को विद्युत बीजक उनके द्वारा की गयी खपत के आधार पर मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित संगत विद्युत उपभोक्ता श्रेणी यथा एल0एम0वी0-2 या एल0एम0वी0-6 की सामान्य दरों पर समस्त प्रभार/शुल्कों सहित, उनको अनुमन्य छूट प्रति माह २४० यूनिट प्रति लूम की सीमा तक रू0 3.50 प्रति यूनिट की दर से प्रतिपूर्ति (सब्सिडी) समायोजित करते हुए निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

ग-पावरलूम की प्री-पावरलूम गतिविधियां एवं पोस्ट पावरलूम गतिविधियों यथा ताना मशीन, वाईन्डर, डबलर, कलेण्डर, बोबिन वाइन्डर, रीलिंग मशीन पर होने वाला विद्युत खपत भी उपरोक्त "क" एवं "ख" की अनुमन्य विद्युत सीमा 120 यूनिट एवं 240 यूनिट में शामिल माना जायेगा।

2-लाभार्थियों की पात्रता एवं चयन की प्रक्रिया:- (।) यह योजना एल0 एम0 वी0- 2(5कि0वाट से कम भार) एवं एल0एम0वी0-6 तक (5कि0वा0 भार से 75 कि0वा0 भार तक)पावरलूम विद्युत कनेक्शन वाले केवल पावरलूम बुनकरों पर लागू होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(II) योजना का लाभ उन्हीं पावरलूम बुनकरों को अनुमन्य होगा, जिनको परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) द्वारा पावरलूम बुनकर होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। नये पावरलूम बुनकरो को योजना का लाभ लेने से पूर्व परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा से पावरलूम बुनकर होने का प्रमाण पत्र निर्गत कराना होगा। पावरलूम बुनकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) पावरलूम बुनकर होने का प्रमाण पत्र जारी करते समय पावरलूम बुनकर का आधार कार्ड संख्या, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड, मोबाइल नम्बर एवं पावरलूम की संख्या तथा अन्य वैयक्तिक सूचनायें प्राप्त करेंगे। पावरलूम बुनकरो के पास विद्युत विभाग में स्वंय के नाम से विद्युत कनेक्शन होना अनिवार्य है।

(III) जिन परिक्षेत्रों में पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिल में सब्सिडी प्रदान की जानी है, उस परिक्षेत्र से सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम (विद्युत विभाग) के अधिशासी अभियन्ता से पूर्व से विद्युत प्रतिपूर्ति का लाभ पा रहे पावरलूम बुनकरों की जनपदवार/ब्लाकवार/गांववार/ मोहल्लावार सत्यापित सूची हथकरघा विभाग के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त प्राप्त करेंगे, जिसमें पावरलूमों की संख्या एवं विद्युत भार एवं विद्युत कनेक्शन नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(IV) पावरलूम बुनकरों के विद्युत प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में विद्युत विभाग से प्राप्त बुनकरों की सूची का सत्यापन परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त अपने स्तर से भी करायेंगे।

(V) विद्युत विभाग से प्राप्त सूची का संयुक्त सत्यापन परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त या उनके प्रतिनिधि एवं विद्युत विभाग द्वारा नामित कार्मिक द्वारा किया जायेगा। सत्यापन कराकर संशोधित सत्यापित सूची निर्धारित प्रारूप पर, जिसमें सम्बन्धित विद्युत विभाग के अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता एवं परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय को सत्यापित सूची संस्तुति सहित उपलब्ध करायेंगे।

(VI) विद्युत वितरण निगमों को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के संबंधित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त द्वारा प्रस्तर-5 के अनुसार उपलब्ध करायी गयी सत्यापित लाभार्थी सूची के आधार पर विद्युत वितरण निगम अपने आनलाइन बिलिंग सिस्टम पर पावरलूम बुनकर का डाटा अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगें।

3-अनुदान के वितरण की प्रक्रियाः-

(I) विद्युत वितरण निगमों द्वारा पावरलूम बुनकर के विद्युत संयोजन पर सम्पूर्ण ऊर्जा का बीजक समस्त प्रभारों/शुल्को सहित मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर करते हुये 0.5 (आधा) अश्व शक्ति तक के पावरलूम बुनकर को अनुमन्य 120 यूनिट एवं 1.0 (एक) अश्व शक्ति तक के पावरलूम बुनकर को 240 यूनिट की सीमा तक रू0 3.50 प्रति यूनिट की दर से विद्युत दर में प्रतिपूर्ति

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

करते हुये इनर्जी चार्ज एवं उससे अधिक यूनिटों को मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित एल0एम0वी0-2 या एल0एम0वी0-6 जो भी लागू हो के आधार पर इनर्जी चार्ज की दरों पर आगणित करते हुये पावरलूम बुनकरों के लिए निर्धारित अन्य समस्त प्रभारों/शुल्कों सहित बीजक निर्गत किया जायेगा। यदि खपत उपरोक्त वास्तविक सीमा से कम है तो वास्तविक खपत के अनुसार ही अनुदान योग्य यूनिट की गणना की जायेगी।

(II) अनुमन्य अनुदान योग्य यूनिट पर रू0 3.50 (तीन रूपया पचास पैसे) प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत दर में प्रतिपूर्ति की कुल धनराशि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेषन लि0 लखनऊ के बैंक खाते में षासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त हस्तांतरण की जायेगी।

4--योजना प्रारम्भ की तिथि:-। यह योजना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू मानी जायेगी।

5- योजना हेतु बजट/धनराशि की मागः- (I) सम्बन्धित वित्तीय वर्श में परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को संकलित कर धनराषि का आगणन कर पावरलूम बुनकरों को विद्युत प्रतिपूर्ति दिये जाने हेतु बजट की मांग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय द्वारा शासन से की जायेगी।

(II) उपलब्ध बजट सीमा में एक वर्ष की देय सब्सिडी को अगले वर्ष अग्रणीत नहीं किया जायेगा।

6- व्यय की प्रक्रियाः- बजट प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट व्यवस्था के अनुसार शासन से वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त पावरलूम बुनकरो को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति की धनराषि व्यय हेतु निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा उक्त धनराशि चयनित पावरलूम बुनकरों के संबंधित विद्युत कनेक्शन खाता संख्या के सापेक्ष समायोजित करेगा। इस प्रक्रिया हेतु संबंधित विद्युत वितरण निगम अपने साफ्टवेयर में यह व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगें।

7- सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषण:- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0 प्र0, का कानपुर से प्राप्त धनराशि के अनुसार पावरलूम बुनकरों के विद्युत बिलों पर छूट प्रदान कर लाभार्थियों की सत्यापित सूची सहित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर को उपलब्ध करायेंगे। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) कार्यालयों के माध्यम से उक्त सदुपयोगिता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराने के उपरान्त समस्त सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1/2019/1403(1)/63-व0उ0-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, (वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

बी0 पी0 मिश्र
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सेवा में
औद्योगिक किवासि सि

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।